प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 22.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.निखिल पुत्र प्रेमबीर निवासी खन्दौली थाना खन्दौली जनपद आगरा 2. कैलाश 3.रामनिवास 4. शंकर निवासीगण अज्ञात द्वारा दिनांक 18.01.2026 को षडयन्त्र कर वादी के ट्रैक्टर को ग्राम पंचलोक मंजीत के गौदाम के बाहर से चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा-61(2)/303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 20.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये ट्रैक्टर को थाना सादाबाद जनपद हाथरस पुलिस द्वारा अभियुक्त कल्याण सिंह पुत्र वासुदेव निवासी दौपुरा थाना बसेरी जनपद धौलपुर राजस्थान से बरामद किया गया जिसके बरामदगी की सूचना थाना ट्रोनिका सिटी को दी गयी । थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त बरामदशुदा ट्रैक्टर को नियमानुसार थाना सादाबाद से कब्जे पुलिस में लेकर थाना ट्रोनिका सिटी लाकर दाखिल किया गया ।

आज दिनांक 22.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वाँछित अभियुक्त निखिल पुत्र प्रेमवीर निवासी ग्राम खंदौली थाना खंदौली जिला आगरा उम्र करीब 19 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं मंजीत के गौदाम पर चौकीदार हूँ। दिनांक 18/01/2026 को रात्रि में मेरे रिश्तेदार कैलाश, शंकर व रामनिवास आये थे। गोदाम के बाहर एक महिन्द्रा ट्रैक्टर प्रतिदिन खडा होता था तो हम चारो के मन में लालच आ गया तो हम सभी ने योजना बनाकर वहां खडे ट्रैक्टर को चोरी करके हाथरस भेज दिया था तथा हम लोग अलग अलग जगह पर चले गये थे। यह ट्रैक्टर मेरे रिस्तेदार कैलाश, शंकर ने अपने किसी जान- पहचान वाले व्यक्ति को हाथरस में दे दिया था जिसे वहाँ सादाबाद पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर के साथ पकड लिया था। मैं व मेरे साथी पुलिस से पकडे जाने के डर से इधर उधर छिपते घूम रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

निखिल पुत्र प्रेमवीर निवासी ग्राम खंदौली थाना खंदौली जिला आगरा उम्र करीब 19 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के कुल 67500/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे, 02 मोटरसाइकिल पल्सर रजि0 नं0 UP16 FH8352 व टीवीएस स्पोर्ट्स रजि0 न0 UP14DZ3820 बरामद ।

दिनांक 18.01.2026 को वादी श्री विकास सिंह पुत्र केसरी सिंह निवासी एफ- 4/13 दयालपुर दिल्ली द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 16.01.2025 को मेरे पिता जी श्री केसरी सिंह जो लालबाग सब्जी मंडी के पास गंगे मार्बल्स के नाम से दुकान करते हैं, शाम करीब 8.00 PM के आसपास अपने नौकर रवि के साथ उसकी स्कूटी जिसका न0-DL-9SC-9658 से घर जा रहे थे तभी दुकान से निकलते ही 50 मीटर की दूरी पर मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लड़कों ने मेरे पिता और नौकर के सिर पर चोट मारी जिससे उनकी स्कूटी और वे नीचे गिर गये । तभी चोट मारने वाले लड़कों ने मेरे पिता जी से बैग छीनकर अनुज धर्मकाँटा से बाई ओर मुड़कर भाग गये जिसमें मेरे पिताजी और नौकर को सिर में चोट आयी तथा अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा बैग छीनकर ले गये जिसमें ढाई-तीन लाख रुपये होना बताया। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धारा 115(2)/309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के विरूद्ध पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.01.2026 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 06 अभियुक्तों 1. अमन गुर्जर पुत्र धर्मराज निवासी मुखिया गेट के पास बाग रानप कस्बा लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 2. मोनू गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी बृहस्पतिवार का बाजार न्यू विकास नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 3. वसीम पुत्र जमील निवासी ग्राम फ़करपुर थाना खेकड़ा जिला बागपत हाल पता न्यू विकास नगर लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 4. हर्ष पुत्र बबलू निवासी डायमंड स्कूल के पास गली नंबर-02 कस्बा लोनी थाना लोनी गाजियाबाद 5. फैसल उर्फ फैज पुत्र युसूफ खान निवासी अम्बेडकर स्कूल के पास बाग रानप वार्ड न0-04 थाना लोनी जनपद गाजियाबाद 6. मयंक पुत्र अरविन्द निवासी गली न0- 4 न्यू विकास नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से लूट के कुल 67500/- रुपये (सडसठ हजार पांच सौ रुपये) नगद, घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे, 02 मोटरसाइकिल पल्सर रजि0 नं0 UP16 FH8352 व टीवीएस स्पोर्ट्स रजि0 न0 UP14DZ3820 बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही धारा 310(2),317(3), 115(2) बीएनएस के अन्तर्गत प्रचलित है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के दौरान इनके अन्य 03 साथी तीसरी मोटरसाइकिल से अन्धेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गये जिनकी तलाश हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमसब ने मिलकर दिनांक 16/01/2026 को लालबाग मन्डी के पास करावल नगर रोड पर टाइल्स-पत्थर की दुकान करने वाले एक स्कूटी पर सवार दो व्यक्तियों से डण्डा मारकर पैसों का बैग छीना था। आज हम लोग उन लूटे हुए पैसों के बंटवारे के लिए जा रहे थे। लूटे हुये पैसों को हमने कीकर की झाडियों में कूडे के नीचे एक प्लास्टिक की सफेद पॉलीथिन में रखकर दबा दिया था। पैसे छुपाने का कारण पूछा गया तो बताया कि हमारे द्वारा स्कूटी सवार व्यक्तियों को इन्ही डण्डो से चोट मार दी थी और वह गिर गए थे जिससे उन्हे काफी चोट आयी थी और हम सब घबरा गये थे। हमने डर की वजह से पैसे छिपा दिए थे कि मामला शांत होने पर हम लोग आपस में पैसों को बांट लेंगे। हम सभी ने मिलकर दिनांक 16/01/26 को लालबाग मण्डी के पास स्कूटी पर सवार गंगे मार्बल्स की दुकान के मालिक व उसके नौकर के साथ डन्डो से मारपीट कर रुपये का बैग लूट की घटना की थी। गिरफ्तार अभियुक्तगण से गंगे मार्बल्स के मालिक से लूटे गए ढाई- तीन लाख रुपए रुपये व बैग के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गई तो सभी ने एक स्वर में बताया कि लूटे गए रुपयो में से करीब पाँच हजार रुपये हमने अपने खाने-पीने व मौज मस्ती में खर्च कर लिये थे। शेष रुपयों को बिना गिने डर की वजह से हमने कीकर की झाडियों में नीचे एक प्लास्टिक की सफेद पालीथीन में रखकर दबा दिए थे तथा बैग में कुछ दवाई व कागज व एक चेक मिला था। चेक को मोनू ने फाडकर चलती मोटरसाइकिल से नाले में फेक दिया था और कागज व दवाईयों को उसी बैग में ही रखकर चलती मोटरसाइकिल से घटना की ही रात्रि में घटना करके जाते समय रास्ते में फेंक दिया था। स्थान की हमें जानकारी नहीं है। आज उन्हीं शेष रुपयों को निकाल कर उनका बंटवारा करने के लिए आए थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. अमन गुर्जर पुत्र धर्मराज निवासी मुखिया गेट के पास बाग रानप कस्बा लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. मोनू गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी बृहस्पतिवार का बाजार न्यू विकास नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
3. वसीम पुत्र जमील निवासी ग्राम फ़करपुर थाना खेकड़ा जिला बागपत हाल पता न्यू विकास नगर लोनी, थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
4. हर्ष पुत्र बबलू निवासी डायमंड स्कूल के पास गली नंबर-02 कस्बा लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
5. फैसल उर्फ फैज पुत्र युसूफ खान निवासी अम्बेडकर स्कूल के पास बाग रानप वार्ड न0- 4 थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
6. मयंक पुत्र अरविन्द निवासी गली न 4 न्यू विकास नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से लूट के कुल 67500/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 डण्डे, 02 मोटरसाइकिल पल्सर रजि0 नं0 UP16 FH8352 व टीवीएस स्पोर्ट्स रजि0 न0 UP14DZ3820 बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।